प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, झालावाड़ थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2022
   प्र0सू0रि0 सं ......49/22...... दिनांक......16/2/22......
2. (1) अधिनियम पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018..धाराऐं 7,7ए पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018 व 120बी आईपीसी

   (2) अधिनियम..धाराऐं ....

   (3) अधिनियम..धाराऐं..

   (4) अन्य अधिनियम एवं .... धाराऐं ....

3. (क) घटना का दिन :– मंगलवार दिनांक :– 15.02.2022
   (ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 08.02.2022 समय :– 11.00 ए.एम.
   (ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ....345.......... समय..........6:15 P.M.
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित प्रार्थना पत्र
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
   (क) थाने से दिशा एवं दूरी –चौकी ए.सी.बी. झालावाड़ से करीब 45 कि0मी0 बजानिब दक्षिण–पश्चिम दिशा
   बीट संख्या..जुरामदेही सं..
   (ख) पताः– आरोपी का किराया का मकान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सुनेल
   (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.............जिला ....
6. शिकायतकर्ता/इतिला देने वाला :–
   (क) नाम :– श्री बबलू
   (ख) पिता/पति का नाम :– श्री रोड़ूलाल प्रजापत जाति कुम्हार
   (ग) जन्म तिथि/उम्र :– 30 साल
   (घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (ड़) पासपोर्ट संख्या......................जारी करने की तिथि..........................जारी करने का स्थान
   (च) व्यवसाय –
   (छ) पता :– ग्राम मगीसपुर तहसील व पंचायत समिति सुनेल जिला झालावाड़।
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

   1. श्री अजीज मोहम्मद पुत्र श्री मंगू खा जाति मुसलमान उम्र 52 साल निवासी म0नं0 1–बी–16 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सुनेल जिला झालावाड़ हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मगीसपुर पंचायत समिति सुनेल जिला झालावाड़ राज0

   2. श्री जगदीश पाटीदार पुत्र श्री रामनारायण जाति पाटीदार उम्र 45 साल निवासी कुण्डला प्रताप तहसील व पंचायत समिति सुनेल जिला झालावाड़ हाल सहायक सेकेट्री (संविदाकर्मी) ग्राम पंचायत मगीसपुर पंचायत समिति सुनेल जिला झालावाड़ राज0

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – 15,000 रूपये ....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)..
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 08.02.2022 को समय 11.00 ए.एम. पर परिवादी श्री बबलू पुत्र श्री रोडूलाल प्रजापत जाति कुम्हार उम्र 30 वर्ष निवासी मगीसपुर तहसील व पंचायत समिति सुनेल जिला झालावाड (राज.) मो.नं. 9772097533 ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड पर स्वंय उपस्थित होकर श्री गोपाललाल हैड कानि. नं. 26 के समक्ष एक टाईप शुदा प्रार्थना पत्र पेश किया। परिवादी श्री बबलू ने उक्त

प्रार्थना पत्र अपने विश्वसनीय व्यक्ति से टाईप करवाना बताया जो इस संबंध में किसी को कोई जिक्र नहीं करेगा तथा गोपनीय कार्यवाही को गुप्त रखेगा। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा उस पर स्वय के हस्ताक्षर होना बताया है। परिवादी ने मजमून दरियाफ्त पर बताया कि वह गांव मगीसपुर का रहने वाला है। उसने अपने गांव के श्री सुन्दर लाल पाटीदार से 5–6 महिने पहले गांव के होली खूंट के पास स्थित एक प्लॉट 25 गुणा 27 वर्ग फुट साईज का एक लाख 70 हजार रूपये में खरीदा था। जिस पर खरीदने के बाद उसने दो कमरे, लेट्रिंग बाथरूम तथा एक दुकान का पक्का निर्माण करा लिया है। वह इस मकान का पट्टा बनवाने के लिए दिनांक 07.02.2022 को ग्राम पंचायत मगीसपुर के ग्राम विकास अधिकारी श्री अजीज मोहम्मद से ग्राम पंचायत में मिला तो उन्होंने कहां कि तुम श्री जगदीश पाटीदार सहायक सेकेट्री जी से मिल लो तुम्हारे मकान का पट्टा बन जाऐगा। इस पर वह उसी रोज श्री जगदीश पाटीदार जी से मिला तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ग्राम विकास अधिकारी श्री अजीज मोहम्मद जी ने 20 हजार रूपये के लिए कहा है कि बबलू को 20 हजार रूपये देने के लिए बोल देना उसके मकान का पट्टा बन जावेगा। इस पर मैंने उनसे कहा कि मेरे पास इतने रूपये नहीं है। मकान बनाने में सारा रूपया खर्च हो गया है। तो उन्होंने कहां कि जब तक 20 हजार रूपये नहीं दोगे तब तक कोई पट्टा नहीं बनेगा। तुम चले जावों। अगर 20 हजार रूपये की व्यवस्था हो जाये तो मेरे पास आ जाना। मकान का पट्टा बन जाऐगा। मैं श्री अजीज मोहम्मद ग्राम विकास अधिकारी तथा श्री जगदीश पाटीदार सहायक सेकेट्री ग्राम पंचायत मगीसपुर को मेरा मकान का जायज पट्टा बनवाने का कार्य के लिए रिश्वत नहीं देना चाहता हूं तथा उन दोनों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी इनसे कोई पुरानी रंजिश अथवा रूपये पैसे का पुराना बकाया लेन देन नहीं है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7, 7ए व 120बी आईपीसी की परिधी में आता है। चौकी प्रभारी श्री भवानी शंकर मीणा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झालावाड़ उपार्जित अवकाश पर चल रहे है तथा चौकी हाजा का कार्यभार श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा शहर के पास है। अतः श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटा शहर को जरिये मोबाईल फोन पर श्री गोपाललाल हैड कानि. द्वारा परिवादी श्री बबलू पुत्र रोडूलाल प्रजापत निवासी मगीसपुर जिला झालावाड़ द्वारा कार्यालय में ट्रेप कार्यवाही करवाने हेतु पेश किये गये प्रार्थना पत्र तथा उसमें अंकित तथ्यों के बारे में अवगत करवाया गया। इस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटा शहर द्वारा रिश्वत मांग हेतु गोपनीय सत्यापन की कार्यवाही करने के जरिये मोबाइल निर्देश दिये गये। निर्देशों के पालना में श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 नं0 26 ने मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकाल कर चेक किया जाकर परिवादी श्री बबलू को चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया ऑपरेटिंग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर आरोपी श्री अजीज मोहम्मद ग्राम विकास अधिकारी व श्री जगदीश पाटीदार सहायक सेकेट्री से रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने व वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु ब्यूरो कार्यालय के कॉनि0 श्री सूरजमल कानि. नं. 521 को निगरानी रखने हेतु परिवादी श्री बबलू के साथ जाने हेतु दोनों को आवश्यक हिदायत देकर उक्त कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षकर करवाकर बजानिब समय 11.30 एएम पर रवाना सुनेल के लिये किया गया। दिनांक 08.02.2022 समय 04:10 पीएम पर श्री सूरजमल कानि. नं. 521 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। जिसने श्री गोपाल लाल हैड कानि. को अवगत कराया कि मैं व श्री बबलू दोनों साथ–साथ अपनी–अपनी मोटरसाईकिलों से श्री अजीज मोहम्मद ग्राम विकास अधिकारी के सुनेल कस्बे की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित निजी आवाज के पास पहुंचे। मैं व परिवादी श्री बबलू प्रजापत आरोपी श्री अजीज मोहम्मद ग्राम विकास अधिकारी, मगीसपुर के निजी मकान से कुछ दुरी पर रूककर, मैंने परिवादी श्री बबलू को समझाईश कर आरोपी श्री अजीज मोहम्मद के निजी मकान पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप करने हेतु रवाना किया तथा मैं आरोपी के निजी मकान से कुछ दुरी पर रूक कर अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी के लौटने का इन्तजार करने लगा। परिवादी श्री बबलू प्रजापत कुछ समय बाद मेरे पास आया तथा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द कर परिवादी श्री बबलू प्रजापत ने बताया कि उसकी आरोपी श्री अजीज मोहम्मद जी ग्राम विकास अधिकारी से उनके मकान के बाहर ही मिलने पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप हो गई है। परिवादी ने अवगत कराया कि मैंने अपने मकान का पट्टा बनवाने के कार्य से संबंधित वार्तालाप करने पर उन्होने 15000रूपये श्री जगदीश पाटीदार को देने तथा उनसे सम्पर्क करने के लिए कहा है। इस पर मैंने उनसे रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप के दौरान 3–4 दिन में 15,000रूपये की राशि की व्यवस्था कर उनसे सम्पर्क करने के लिए कहा है। सत्यापन वार्तालाप को मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। तत्पश्चात् परिवादी श्री बबलू प्रजापत को अन्य आरोपी श्री जगदीश पाटीदार से जरिये मोबाइल सम्पर्क करने के लिए कहा गया तो परिवादी श्री बबलू प्रजापत ने बताया कि श्री जगदीश पाटीदार सहायक सेकेट्री ने सुनेल में ही लुहार दरवाजे के पास आने के लिए बताया। इस पर श्री जगदीश पाटीदार से रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप करने हेतु परिवादी को आरोपी के पास पुनः डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर भिजवाया गया। परिवादी श्री बबलू प्रजापत ने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि आरोपी श्री जगदीश पाटीदार से रिश्वत वार्तालाप के दौरान डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करने उपरान्त गलती से बन्द हो जाने के कारण वार्तालाप